छत्तीसगढ़ शासन

संस्कृति विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

2002–2003

रायपुर

2003

संस्कृति विभाग

विभाग का नाम	संस्कृति
प्रभारी मंत्री	श्री धनेन्द्र साहू, राज्यमंत्री, स्वतंत्र प्रभार
प्रमुख सचिव	डॉ. के.के. चक्रवर्ती
उप सचिव	श्री जयसिंह म्हस्के

विभागाध्यक्ष

संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व	श्री प्रदीप पंत

विभाग की नीति

राज्य शासन द्वारा संस्कृति नीति 2001 घोषित की गई, जिसके अंतर्गत विभाग की गतिविधियों को नया आयाम दिया जा रहा है। संस्कृति नीति में मुख्यतः राज्य की कोई विशेष या औपचारिक नीति के स्थान पर परम्पराओं-मान्यताओं का समावेश एवं उनके पोषण-संवर्धन के लिए सांस्कृतिक उद्देश्यों की परिकल्पना पर बल दिया गया है ।

राज्य, अभिलेखीय एवं गैर अभिलेखीय परंपराओं के आधार पर संस्कृति को परिभाषित करेगा । राज्य, समुदायों के पारस्परिक संबंधों को बनाये रखने एवं उनके मध्य समन्वय स्थापित करने का प्रयास करेगा, इसके अतिरिक्त सीमावर्ती पड़ोसी राज्यों के छत्तीसगढ़ के साथ सांस्कृतिक संबंधों की नये परिप्रेक्ष्य में व्याख्या की जायेगी ।

राज्य की बोलियों को प्रोत्साहित किया जावेगा । देश एवं विश्व की दूसरी बोलियों, समुदायों के मध्य संबंधों को प्रोत्साहित किया जायेगा । सबसे विशिष्ट तत्व यह होगा कि संस्कृति के ज्ञान का संचयन एवं उसका उपयोग समग्र रूप से एक सतत् प्रक्रिया के रूप में देखा जायेगा । राज्य में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने एवं फैली हुई विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं को एक सूत्र में बांधने हेतु अंतर्संकायी समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें विभिन्न कलाओं एवं संकायों के उच्चस्तरीय विशेषज्ञों का समावेश होगा ।

स्मारकों का संरक्षण, नीति का विशिष्ट अंग होगा । राज्य को जीवंत संग्रहालय की नई परिकल्पना में रख कर विभिन्न समुदायों की संस्कृति का नये रूप में प्रस्तुतिकरण, नीति का एक प्रमुख भाग होगा । इसके अतिरिक्त समुदायों के जैविक-सांस्कृतिक तत्व तथा उनके मध्य, परिवेशीय अंतर्संबंध को नया आयाम देने का प्रयास किया जावेगा । संस्कृति को संपूर्ण जीवन का आवश्यक अंग मानकर उसका संवर्धन एवं परिवर्धन क्षेत्रीय कार्यक्रम, शोध-संगोष्ठी एवं विभिन्न उत्सवों के माध्यम से करना विभाग का ध्येय है ।

क्रियाकलाप

संस्कृति विभाग का कार्य प्रदेश की संस्कृति, साहित्य एवं पुरातत्व का संवर्धन करना है तथा उसके उत्तरोत्तर विकास के लिये कार्य करते रहना है । विभाग के क्रियाकलाप मुख्यतः निम्नानुसार है-

1. संस्कृति से संबंधित नीतिगत मामले व नीति निर्धारण ।
2. साहित्य एवं कला का विकास ।
3. सांस्कृतिक परम्परा का संरक्षण ।
4. ललित कला तथा संगीत शिक्षा को प्रोत्साहन ।
5. पुराने अभिलेखों का संरक्षण, संवर्धन ।
6. ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों का संरक्षण तथा संग्रहालयों का विकास ।
7. शासकीय कार्य में हिन्दी भाषा का प्रयोग तथा उसके विकास संबंधी कार्य ।
8. शैक्षणिक संस्थाओं में हिन्दी भाषा का प्रयोग तथा उसके विकास संबंधी कार्य ।
9. जिला/राज्य गजेटियर्स का निर्माण तथा पुनर्मुद्रण ।
10. सिनेमा अधिनियम के तहत नये सिनेमागृहों को लायसेंस ।
11. अर्थाभावग्रस्त कलाकारों/साहित्यकारों को पेंशन व आर्थिक सहायता ।
12. अशासकीय सांस्कृतिक संस्थाओं को प्रोत्साहन व आर्थिक सहायता ।
13. चयनित कलाकारों/साहित्यकारों/विद्वानों को सम्मानित करने का कार्य ।
14. कला, संस्कृति एवं ऐतिहासिक विषयों के दुर्लभ एवं प्रामाणिक ग्रंथों, दस्तावेजों, स्मृति चिन्हों का संग्रह, प्रकाशन, प्रदर्शन तथा संबंधित व्याख्यान, संगोष्ठियों आदि का आयोजन ।
15. छत्तीसगढ़ राज्य की संस्कृति का समग्र विकास ।

प्रशासकीय प्रतिवेदन

संस्कृति विभाग के अन्तर्गत संस्कृति एवं पुरातत्व संचालनालय कार्यरत है, जिसमें अभिलेखागार, संग्रहालय एवं राजभाषा प्रभाग सम्मिलित हैं।

पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय

राज्य स्थापना के पश्चात् यह संचालनालय स्थापित किया गया है, जिसका मुख्य कार्य प्रदेश भर में विस्तृत पुरासंपदा का सर्वेक्षण, चिन्हांकन, छायांकन, संकलन, संरक्षण, प्रदर्शन, उत्खनन एवं अनुरक्षण करना है, साथ ही नये संग्रहालयों की स्थापना कर जन-सामान्य एवं शोधार्थियों में पुरातत्वीय संपदा के प्रति जागृति पैदा करना है । इसके अतिरिक्त स्मारकों का अनुरक्षण-संरक्षण, महत्वपूर्ण प्रतिमाओं की प्रतिकृतियों का निर्माण, प्रदर्शन एवं संगोष्ठियों का आयोजन, आदिवासी लोककला संस्कृति एवं प्राचीन परम्पराओं का संरक्षण एवं संधारण, नवीन खोजों एवं उपलब्धियों का प्रकाशन मुख्य कार्य है । विभाग के अन्तर्गत प्रदेश में 3 संग्रहालय हैं तथा 56 राज्य संरक्षित पुरातत्वीय स्मारक हैं।

अभिलेखागार प्रभाग भी पुरातत्व के अन्तर्गत स्थापित है, जिसमें ऐतिहासिक अभिलेखों को एकत्रित कर उसका संरक्षण एवं संवर्धन कार्य विभागीय उद्देश्यों में सम्मिलित है ।

वर्तमान में संचालनालय में स्वीकृत अमले का विवरण

क्रमांक	कार्यालय का नाम	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी	योग
1	पुरातत्व अभिलेखागार संग्रहालय राजभाषा एवं संस्कृति	3	8	36	55	102
	योग	**3**	**8**	**36**	**55**	**102**

पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय बजट प्रावधान की जानकारी

दि. 1-04-2002 से दिनांक 31-3-2003 के लिए

क्र.	योजना का नाम	आयोजनेत्तर	आयोजना	योग
1	2	3	4	5
लेखा शीर्ष - 2205			(आकड़े लाख रूपयों में)	
1	103 - पुरातत्व	61.55	74.27	135.82
2	104 - अभिलेखागार	11.27	2.00	13.27
3	105 - सार्वजनिक पुस्तकालय	-	13.00	13.00
4	107 - संग्रहालय	35.47	60.50	95.97
	योग	**108.29**	**149.77**	**258.06**

मांग संख्या 41 आदिवासी उप योजना

2205 - कला एवं संस्कृति

1	107 संग्रहालय	-	**40.00**	**40.00**

1. उत्खनन एवं सर्वेक्षण -

संस्कृति नीति के बिन्दु 3 तथा 13 के अनुरूप स्मारकों का मूल स्थान पर पुनरुद्धार तथा सांस्कृतिक एवं भौगोलिक भू-दृश्यों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से उत्खनन व सर्वेक्षण कार्य कराया गया ।

अ. उत्खनन - रायपुर जिले में ग्राम सिसदेवरी में उत्खनन कार्य कराया गया । इस उत्खनन में 5-6 वीं शताब्दी ईस्वी के प्राचीन मंदिर के अवशेष एवं कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं (चित्र - 1) । उत्खनन में प्राप्त दुर्लभ पुरावशेषों का तकनीकी अध्ययन किया जा रहा है ।

ब. सर्वेक्षण - राज्य में फैली पुरासंपदा के सर्वेक्षण, अभिलेखन एवं संधारण की दृष्टि से वर्ष 2002-03 में निम्नलिखित सर्वेक्षण कार्य किया गया/प्रगति पर है-

- राज्य के बौद्ध तथा जैन स्थल, स्मारक एवं प्रतिमाएं ।
- जिला सरगुजा, कोरिया एवं रायगढ़, के दूर-दराज क्षेत्रों में स्थित विभिन्न चित्रित शैलाश्रय (चित्र - 2), पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक स्थलों तथा चैतुरगढ़, कोसगईगढ़ जैसे दुर्गम गिरि-दुर्ग ।
- मरवाही(पेन्ड्रा), सुकमा, जिला दंतेवाड़ा, नगरी, जिला धमतरी, राजधानी क्षेत्र एवं राजिम का पंचक्रोशी क्षेत्र ।
- विभिन्न जिलों के इतिहास और पुरातत्वीय संपदा के संरक्षण हेतु धमतरी, दंतेवाड़ा, जशपुर, महासमुंद, जांजगीर-चांपा, कोरिया, कांकेर, कवर्धा के जिला पुरातत्व संघों के माध्यम से तथा इंदिरा संगीत कला विश्वविद्यालय खैरागढ़ को राशि उपलब्ध करा कर, उनके माध्यम से पुरातत्वीय सर्वेक्षण कार्य कराया जा रहा है।

2. अनुरक्षण एवं लघु निर्माण -

संस्कृति नीति के बिन्दु 13 के अनुसार स्मारकों के संरक्षण के साथ साथ महत्वपूर्ण सांस्कृतिक एवं भौगोलिक भूदृश्यों को सुरक्षित किये जाने हेतु वर्ष 2002-03 के दौरान निम्नलिखित स्थलों पर अनुरक्षण कार्य किये गये/प्रगति पर है-

- ग्राम सिसदेवरी, जिला रायपुर का अनुरक्षण ।
- संरक्षित स्मारक मड़वा महल, जिला कवर्धा का जीर्णोद्धार कार्य (चित्र - 3) तथा स्मारक को सुदृढ़ता प्रदान करते हुए स्मारक परिसर की सुरक्षा व्यवस्था ।
- संरक्षित स्मारक, भोरमदेव मंदिर, जिला कवर्धा का अनुरक्षण ।
- शिव मंदिर, ग्राम चंदखुरी, जिला रायपुर का अनुरक्षण ।
- शिव मंदिर, गुमड़पाल, जिला जगदलपुर का अनुरक्षण एवं विकास ।

- शिव मंदिर, गनियारी, जिला बिलासपुर के परिसर को विकसित करते हुए स्मारक का अनुरक्षण ।
- शिव मंदिर घटियारी, ग्राम बिरखा, जिला राजनांदगांव में स्मारक परिसर की सुरक्षा-व्यवस्था ।
- संरक्षित स्मारक बत्तीसा मंदिर वारसूर, जिला दन्तेवाड़ा का जीर्णोद्धार ।
- संरक्षित स्मारक देवरानी जेठानी मंदिर ताला, जिला बिलासपुर में विकास व परिसर का सौन्दर्यीकरण ।
- महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर का सौंदर्यीकरण व विकास ।

3. रासायनिक संरक्षण कार्य -

4

पुरातत्वीय स्मारक एवं कलाकृतियों की साफ-सफाई, अधिक समय तक सुरक्षा प्रदान करने एवं प्राकृतिक क्षरण से संरक्षित करने की दृष्टि से वर्ष 2002-03 के दौरान निम्नलिखित स्थानों पर रासायनिक संरक्षण कार्य कराया गया/प्रगति पर है-

- संरक्षित स्मारक किरारीगोढ़ी, जिला बिलासपुर।
- संरक्षित स्मारक देवरानी-जेठानी मंदिर, ताला, जिला बिलासपुर । (चित्र - 4)
- संरक्षित स्मारक छेरका देउल, देवटिकरा, जिला सरगुजा।
- संरक्षित स्मारक मंडवा महल, जिला कवर्धा।
- संरक्षित स्मारक शिव मंदिर गनियारी, जिला बिलासपुर।
- संरक्षित स्मारक शिव मंदिर, गुमड़पाल, जिला बस्तर।

4. फोटोग्राफी -

संस्कृति नीति के बिन्दु 1 के अनुरूप सांस्कृतिक परंपराओं के दस्तावेजीकरण के लिए स्मारकों, कलाकृतियों, उत्खनन सर्वेक्षण में धरातल पर पड़े पुरासंपदा तथा संग्रहालयों में संग्रहित कलाकृतियों छाया-प्रलेखन कार्य कराया गया -

- महावीर जयंती के अवसर पर राज्य के पुरातत्वीय महत्व की जैन प्रतिमाएं तथा बुद्ध जयंती के अवसर पर पुरातत्वीय महत्व की बौद्ध प्रतिमाएं व स्थल।

  (चित्र - 5)

- बस्तर, सरगुजा, रायगढ़, कोरिया जिले के दूरस्थ अंचलों में स्थित प्रागैतिहासिक चित्रित शैलाश्रय ।
- बत्तीसा मंदिर, बारसूर, डीपाडीह, जिला सरगुजा, भोरमदेव, जिला कवर्धा, सिरपुर, राजिम, शिवरीनारायण एवं जांजगीर के स्मारक व पुरावशेष ।

5

5. प्रकाशन –

संस्कृति नीति के बिन्दु 1, 18 व 19 के अनुरूप सांस्कृतिक परंपराओं की प्रस्तुति एवं उनका प्रचार-प्रसार, सांस्कृतिक गतिविधियों की निरंतरता तथा जीवन्त प्रवाह मानकर, राज्य के पुरातात्विक धरोहर से संबंधित जानकारी का प्रचार-प्रसार तथा जन जागरूकता के लिए विभिन्न प्रकाशन यथा- निर्माणाधीन पुरखौती मुक्तांगन की अवधारणा से संबंधित प्रकाशन, छत्तीसगढ़ में बुद्ध एवं जैन धर्म से सम्बद्ध पुरातत्वीय स्थलों एवं प्रतिमाओं पर प्रकाशन, छत्तीसगढ़ के शैलचित्रों पर आधारित प्रकाशन (चित्र -6) एवं बिलासपुर संग्रहालय की मार्गदर्शिका का प्रकाशन किया गया/कराया जा रहा है।

6. माडलिंग –

संस्कृति नीति के बिन्दु 14 के अनुरूप समुदायों के जैव-सांस्कृतिक, इतिहास और भौतिक परिवेशीय अन्तर्संबंध के संदर्भों को महत्व देते हुए विभागीय माडलिंग शाखा के अन्तर्गत जनसामान्य में सांस्कृतिक धरोहर के प्रति रूचि जागृत करने के उद्देश्य से प्रदेश की चुनी हुई महत्वपूर्ण प्रतिमाओं की प्रतिकृतियां, प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं फाइबर ग्लास से विभागीय स्तर पर तैयार की जाती है। वर्ष 2002-03 के दौरान निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वज्रपाणि प्रतिमा की प्रतिकृति प्लाटर ऑफ पेरिस में तैयार की गई (चित्र - 7) तथा ताला के रूद्र शिव प्रतिमा का मोल्ड निर्मित कर फाइबर ग्लास की प्रतिकृति का निर्माण किया जा रहा है । राजिम के गरूड़ प्रतिमा की प्लास्टर प्रतिकृति तथा लघु विष्णु प्रतिमा की अनुकृति तैयार की गई एवं अन्य प्रतिमाओं के मोल्ड भी तैयार किये जा रहे हैं। लोक कलाकारों के माध्यम से भी पुरातत्वीय महत्व के स्मारकों एवं कलाकृतियों की प्रतिकृतियाँ तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

7. संग्रहालय –

संस्कृति नीति के बिन्दु 3 के अनुरूप मूर्त वस्तुओं का संकलन और निर्धारित स्थानों पर प्रदर्शन करने के लिए राज्य में विभाग के तीन संग्रहालय रायपुर, जगदलपुर एवं बिलासपुर में विद्यमान है। राजधानी रायपुर स्थित महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय के प्रति विशेष जन-आकर्षण हेतु उसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है (चित्र - 8), साथ ही कलाकृतियों एवं शिलालेख, ताम्रपत्रलेख की दीर्घाओं में तकनीकी आधार पर प्रदर्शन किया जा रहा है । जगदलपुर संग्रहालय के विकास एवं प्रदर्शन का कार्य प्रगति पर है तथा बिलासपुर संग्रहालय के लिए विभागीय भवन की व्यवस्था का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त जिला पुरातत्व संघों द्वारा संचालित संग्रहालय हेतु कलाकृतियों के संकलन एवं उनके प्रदर्शन व्यवस्था हेतु विभाग द्वारा अनुदान दिया गया है।

8. अनुदान -

संस्कृति नीति के बिन्दु 7 के अनुरूप संस्थागत समन्वय तथा विकेन्द्रित मैदानी गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हुए राज्य के विभिन्न जिलों में यत्र-तत्र बिखरी पुरातत्वीय संपदा के संकलन, संरक्षण एवं उनके प्रदर्शन हेतु जिला पुरातत्व संघों को आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है। वर्ष 2002-03 के दौरान बिखरे हुए पुरावशेषों को एकत्र कर सुरक्षित व प्रदर्शित करने तथा जन जागरूकता विकसित करने के लिए आरंग में (चित्र - 9) संग्रहालय विकसित करने हेतु जिला पुरातत्व संघ रायपुर को एवं जांजगीर में संग्रहालय विकसित करने हेतु जिला पुरातत्व संघ, जांजगीर को अनुदान दिया गया है साथ ही इन स्थानों में निर्माणाधीन संग्रहालयों के लिए विभागीय तकनीकी सहायता भी दी जा रही है।

9

9. अभिलेखागार प्रभाग -

10

राज्य की संस्कृति नीति के बिन्दु 18 एवं 19 के अनुरूप परंपरा की प्रासंगिकता और सामयिकता का परीक्षण तथा सांस्कृतिक शोध-शिक्षण, समीक्षा तथा शोध को प्रोत्साहित करने हेतु अभिलेखागार में ऐतिहासिक अभिलेखों का संकलन एवं वैज्ञानिक पद्धति से उनका संरक्षण किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त शोधकर्ताओं को सहायता एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2002-03 के दौरान अभिलेखागार शाखा द्वारा निम्नलिखित कार्य किये गये -

- माह अगस्त 2002 में छत्तीसगढ़ रियासतों से संबंधित 1590 ऐतिहासिक/महत्वपूर्ण अभिलेखों की छायाप्रतियाँ अभिलेखागार भोपाल (म.प्र.) से प्राप्त कर लायी गयी ।
- छत्तीसगढ़ राज्य की रियासतों के लगभग 3,000 दस्तावेज म.प्र. से स्थानांतरण बाबत् चिन्हित किये गये ।
- माह नवम्बर 2002 में 'ऐतिहासिक अभिलेख सप्ताह' समारोह के अंतर्गत अभिलेख तथा अभिलेखागार स्थापना व इस विषय में जनसामान्य की जागरूकता बढ़ाने की दृष्टि से एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया । (चित्र - 10)

10. जनभागीदारी -

11

राज्य के विस्तृत क्षेत्र व व्यापक पुरातत्वीय धरोहर की सुरक्षा तथा पुरासंपदा के प्रति जनजागरूकता पैदा करने के लिए जनभागीदारी की आवश्यकता की दृष्टि से विभिन्न जिलों में जिला पुरातत्व संघों के गठन हेतु विशेष प्रयास किये गये हैं। वर्तमान में राज्य के 11 जिलों में जिला पुरातत्व संघों का गठन हो चुका है और शेष जिलों में कार्यवाही प्रगति पर है। इसके साथ ही प्राचीन धरोहर युक्त ग्रामों में पुरावशेषों की सुरक्षा व संरक्षण हेतु ग्राम स्तर पर ग्रामवासियों से चर्चाकर (चित्र -11) ग्राम धरोहर समिति गठित करने के प्रयास भी जारी है ।

राजभाषा एवं संस्कृति

प्रदेश की संस्कृति एवं साहित्य के संरक्षण व संवर्धन हेतु संस्कृति नीति के अनुरूप कार्यक्रम तैयार कर गतिविधियों का संचालन राजभाषा एवं संस्कृति प्रभाग के अंतर्गत किया जाता है, जिससे समुदायों के बीच पारंपरिक संबंधों को बनाये रखने में मदद हो एवं उन्हें विकसित करने में उनके जीवन, उनकी कलाओं के रूप और क्रियाएं उत्प्रेरित हों । इस प्रभाग द्वारा स्थानीय समुदायों की अबाध सांस्कृतिक परम्पराओं की पहचान, मान्यता देना, पुनर्जीवित करना, दस्तावेजीकरण, प्रस्तुति एवं उनका प्रचार-प्रसार किया जाता है । साथ ही छत्तीसगढ़ के अद्वितीय सांस्कृतिक वैविध्य एवं विशिष्ट पहचान को परिभाषित कर, उसके सीमावर्ती पड़ोसी राज्यों तथा सांस्कृतिक प्रदेशों के साथ संबंध व विनिमय स्थापित किया जाता है । राज्य की समृद्ध जनजातीय परंपरा के संरक्षण एवं परिवर्धन हेतु विभिन्न कार्यक्रम, जिसमें जनजातीय रहन-सहन तौर तरीके, रीति रिवाज, लोक नृत्य, गायन एवं अन्य परंपराओं को बनाये रखने हेतु भी कार्य किया जाता है । इस हेतु विभागीय क्रियाकलाप के साथ-साथ साहित्य, संस्कृति और कला के क्षेत्रा में कार्यरत स्वायत्तशासी एवं निजी क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है ।

राजभाषा एवं संस्कृति, पूर्व में पृथक संचालनालय था, किन्तु छत्तीसगढ़ में इसे संस्कृति एवं पुरातत्व संचालनालय के प्रभाग के रूप में स्थापित किया गया है । राजभाषा एवं संस्कृति के अन्तर्गत सहयोगी गतिविधियों हेतु ''पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी'' सृजन पीठ स्थापित है ।

आयोजन एवं उत्सव -

संस्कृति नीति के बिन्दु 1, 4 एवं 7 के अंतर्गत राज्य द्वारा किसी औपचारिक नीति की घोषणा न कर उसके स्थान पर समुदायों की अबाध सांस्कृतिक परंपराओं की पहचान कर उन्हें मान्यता देना, पुनर्जीवित करना, दस्तावेजीकरण, प्रस्तुतिकरण एवं उनका प्रचार-प्रसार है । इसके अतिरिक्त राज्य नयी संस्थाओं/उत्सवों को प्रस्थापित करने के बजाय अस्तित्वमान पृष्टभूमि वाले उत्सवों/संस्थाओं को प्रोत्साहित करता है जिससे संस्कृति में अंत:संकायी संवाद कायम हो, इसी तारतम्य में विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किये गए/सहयोग प्रदान किया गया -

12

- माह सितम्बर 2002 से जनवरी 2003 के मध्य विभिन्न लोक शिल्पियों/कलाकारों की निम्न लिखित कार्यशालाओं का आयोजन किया गया चित्रकारी कार्यशाला, लोक शिल्पियों की कार्यशाला, मुखौटा कार्यशाला, लोक चित्रकारी कार्यशाला, लौह शिल्प कार्यशाला, मिट्टी शिल्प कार्यशाला (चित्र - 12), झारा-घड़वा (पीतल) धातु शिल्प कार्यशाला ।
- 15 अगस्त 2002, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आंचलिक कलाओं के प्रदर्शन एवं स्वतंत्रता के जनजातीय स्वर पर केन्द्रित गीतों के प्रदर्शन हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रम ।
- छत्तीसगढ़ राज्य के द्वितीय स्थापना दिवस पर 1 नवम्बर 2002 को राज्य शासन द्वारा स्थापित सम्मान समारोह का आयोजन व समन्वय किया गया । इसी अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया । 21 से 23 नवम्बर 2002 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में राज्य दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया तथा छत्तीसगढ़ी फिल्मों का फिल्मोत्सव भी आयोजित किया गया ।

13

- राज्य स्थापना की द्वितीय वर्षगांठ के अवसर पर 25 से 30 अक्टूबर 2002 के मध्य विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये गये । इसी अवसर पर श्री हबीब तनवीर के नाटक का मंचन भी किया गया । (चित्र - 13)
- प्रदेश एवं राज्यस्तरीय कला-संस्कृति साधकों को सम्मानित करने के लिए छत्तीसगढ़ के गौरव-पुरूषों के नाम पर स्थापित संस्कृति विभाग के चक्रधर कला सम्मान, पंडित सुन्दरलाल शर्मा साहित्य सम्मान तथा दाउ मन्दराजी लोककला सम्मान, राज्य स्थापना दिवस 2002 के अवसर पर दिए गए साथ ही लोक परंपराओं एवं जनभावनाओं का सम्मान करते हुए गौ रक्षा पुरस्कार 2002 भी प्रदान किया गया ।
- कला एवं साहित्य को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ विधानसभा में विशेष रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन ।
- राज्य के पारंपरिक एवं विशिष्ट उत्सवों यथा- जाज्वल्य उत्सव, जांजगीर, शिवरीनारायण उत्सव, चक्रधर समारोह, रायगढ़, भोरमदेव उत्सव, बिलासा उत्सव, बिलासपुर मल्हार उत्सव, रामगढ़ उत्सव, सरगुजा, खल्लारी उत्सव, लोक मड़ई, राजनांदगांव का आयोजन ।

अनुदान एवं सहायता -

14

संस्कृति नीति की मूल भावना तथा बिन्दु 4, 17 व 19 के अनुरूप अस्तित्वमान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली संस्थाओं को बढ़ावा, शारीरिक तथा मानसिक चुनौतियों से जूझते लोगों को प्रोत्साहन तथा सुरक्षित जीवन-यापन के लिए अर्थाभावग्रस्त संस्कृति कर्मियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए विभागीय पहल कर पूर्व प्रकरणों में कार्यवाही तथा नए प्रकरण तैयार कर सहायता के लिए निम्नानुसार कार्य किए गए -

- वर्ष के दौरान 21 अर्थाभावग्रस्त साहित्यकारों/कलाकारों को जिला पंचायतों के माध्यम से 700/- प्रतिमाह की दर से मासिक सहायता (पेंशन) स्वीकृत की गई है। विभाग के अंतर्गत गठित कलाकार कल्याण कोष समिति (सदस्या सुश्री तीजन बाई बैठक में चित्र - 14) की अनुशंसा के अनुरूप 9 विभिन्न जरूरतमंद कलाकारों/साहित्यकारों को 5,000 रु. के मान से वर्ष 2002-03 के दौरान राशि स्वीकृत की गई है।
- राज्य की संस्कृति, कला से जुड़ी 30 संस्थाओं/व्यक्तियों को विभिन्न सांस्कृतिक आयोजनों, कला के विकास हेतु अनुदान दिया गया।
- कलावीथिका के विकास से संबंधित 4 संस्थाओं /व्यक्तियों को अनुदान दिया गया।
- गोष्ठियों, साहित्य व अन्य सामाजिक कार्यों से जुड़े अन्य आयोजनों हेतु 37 संस्थाओं / व्यक्तियों को तथा साहित्य एवं कला से जुड़े प्रकाशनों हेतु 12 संस्था/ व्यक्तियों को अनुदान दिया गया ।

अभिलेखन -

संस्कृति नीति बिन्दु 1 व 3 के अनुरूप स्थानीय समुदायों की अबाध सांस्कृतिक परंपराओं की पहचान, दस्तावेजीकरण तथा गैर-अभिलेखीय परंपराओं को प्रोत्साहित करने हेतु निम्नानुसार प्रलेखन कार्य किए गए -

- माह सितंबर 2002 में बस्तर के देवलोक भंगाराम (भादों जात्रा) केशकाल का समग्र छायांकन अभिलेखन एवं वीडियोग्राफी। (चित्र - 15)

15

- छत्तीसगढ़ राज्य के वरिष्ठ साहित्यकार, लोक कलाकार एवं नाटककारों सर्वश्री मदन निषाद (चित्र - 16), दादूसिंह रासधारी, श्यामलाल चतुर्वेदी, हबीब तनवीर का साक्षात्कार।
- जशपुर जिले के उरांव जनजाति का सरहुल उत्सव।
- 23 नवंबर 2002 को बिलासपुर में राउत नाच महोत्सव की रजत जयंती।

16

प्रकाशन –

संस्कृति नीति के बिन्दु 1, 18 व 19 के अनुरूप सांस्कृतिक परंपराओं की प्रस्तुति एवं उनका प्रचार-प्रसार, सांस्कृतिक गतिविधियों की निरंतरता तथा जीवन्त प्रवाह को दृष्टिगत कर विभिन्न प्रकाशन किए गए है –

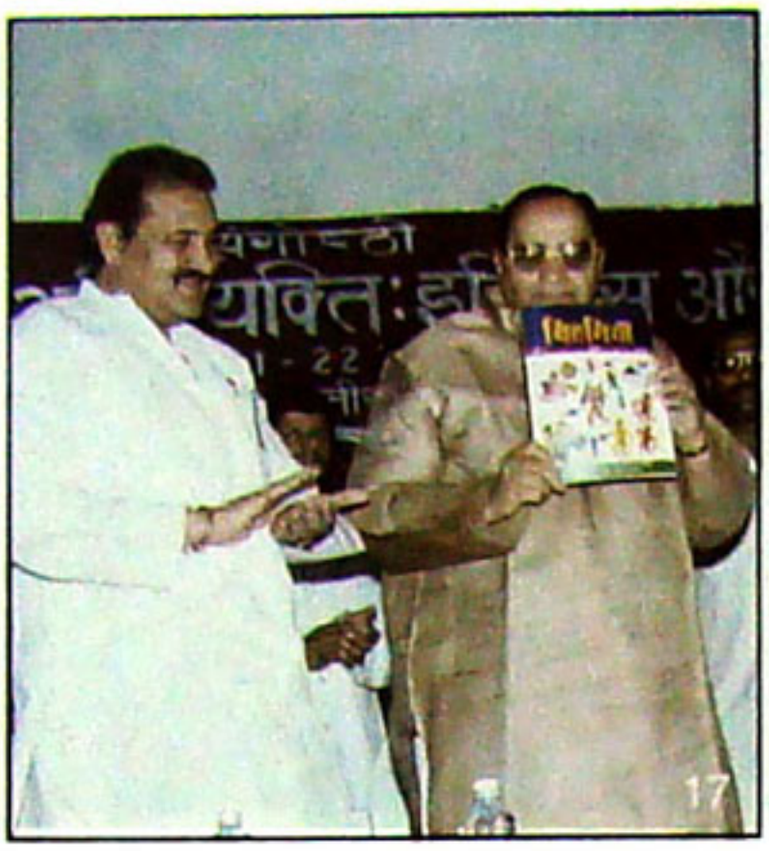

- हमारे छेदीलाल बैरिस्टर ।
- ग्रेट मास्टर्स आफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक ।
- श्री राजीवलोचन महोत्सव 2003 के अवसर पर 'स्मारिका' ।
- बिहनिया का दूसरा अंक प्रकाशित किया गया (चित्र - 17) तथा तृतीय अंक प्रकाशनाधीन ।

इसके अतिरिक्त विभागीय प्रकाशनों की श्रृंखला में विभाग द्वारा स्वामी विवेकानंद के रायपुर प्रवास की 125 वीं जयंती पर विषय से संबंधित ब्रोशर प्रकाशित कर राज्य में वितरण हेतु भेजा गया । प्रतिवर्ष की तरह राज्योत्सव 2002 के अवसर पर राज्य सम्मान समारोह पुस्तिका एवं गणतंत्र दिवस 2003 के अवसर पर विवरणिका, तथा लोक कलाओं एवं ललित कलाओं पर परिचयात्मक ब्रोशरों का प्रकाशन ।

- साथ ही 12 संस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पुस्तकों के लिए आर्थिक सहयोग ।

गोष्ठियां –

संस्कृति नीति के बिन्दु 7 तथा 11 के अनुरूप अंत:संकायी संवाद तथा स्थानीय समुदायों के सहनिर्देशित पहल से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करने के उद्देश्य से निम्नानुसार आयोजन किए गए –

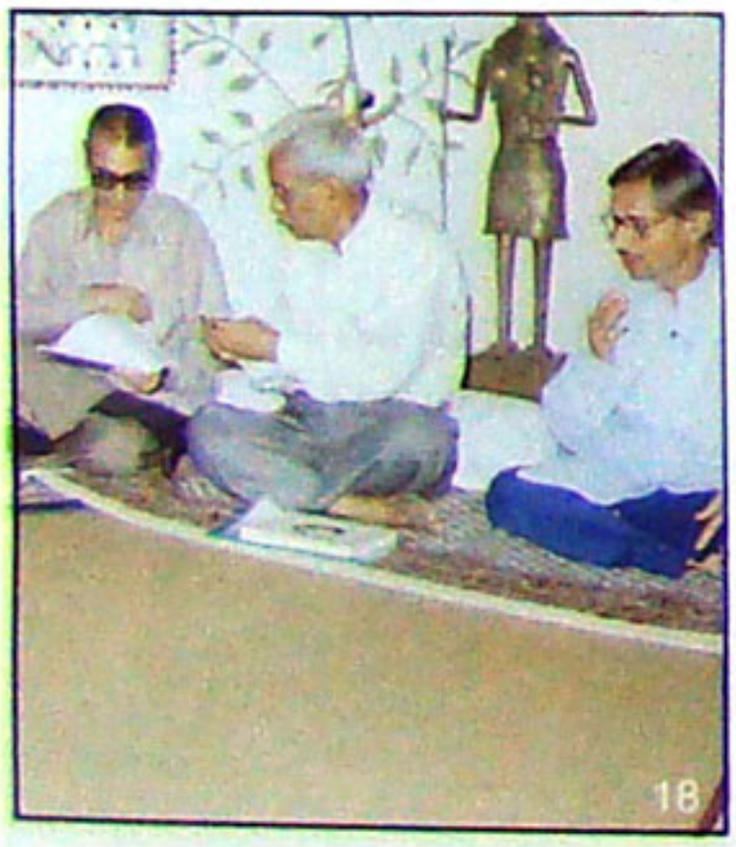

- दिनांक 28.9.02 को धर्मनिरपेक्षता एवं अध्यात्म पर गोष्ठी, शहर के गणमान्य साहित्यकारों एवं श्री नन्दकिशोर आचार्य, श्री मदन सोनी की उपस्थिति में। (चित्र - 18)
- बिलासपुर में 'विरासत वार्ता' क्रम के अंतर्गत वैचारिक गोष्ठियां ।
- छत्तीसगढ़ की जनभाषाओं के संबंध में राज्य के प्रत्येक जिलों में गोष्ठी एवं मार्च 2003 में उक्त विषय पर रायपुर में राज्यस्तरीय गोष्ठी ।
- 25 जनवरी 2003 को स्वामी विवेकानंद जी के 125 वीं जयंती समारोह पर राज्यस्तरीय संगोष्ठी ।
- बख्शी सृजनपीठ के अंतर्गत पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की स्मृति में, पंडित सुन्दरलाल शर्मा तथा माधवराव सप्रे की स्मृति में भिलाई में साहित्यिक कार्यक्रम ।
- 'विप्र जी की परम्परा' गोष्ठी विलासपुर में तथा कविता लेखन पर आंचलिक कार्यशाला मल्हार में आयोजित ।
- समकालीन भारतीय साहित्य के संस्थापक शानी की याद में साहित्यिक आयोजन जगदलपुर में ।
- भारतीय कहानी की विकास यात्रा पर त्रि-दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन ।
- साहित्यिक एवं सामाजिक गोष्ठियों/आयोजनों हेतु 27 संस्थाओं/व्यक्तियों को अनुदान दिया गया ।

प्रदर्शनी -

संस्कृति नीति के बिन्दु 1 तथा 16 के अनुरूप सांस्कृतिक परंपराओं के प्रचास-प्रसार तथा मूल स्थान व निर्धारित स्थानों पर प्रदर्शनों की संकल्पना को क्रियान्वित करने हेतु राज्य की परंपराओं तथा सांस्कृतिक व कलात्मक संपदा का निम्नानुसार प्रदर्शन जनजागरूकता के उद्देश्य से किया गया / कराया जा रहा है -

- गुरू घासीदास जयंती के अवसर पर लालपुर, बिलासपुर एवं नवागढ़ जिला दुर्ग में गुरू घासीदास पर आधारित फोटोग्राफ एवं वीडियो फिल्म । (चित्र -19)
- महावीर जयंती के अवसर जैन धर्म व संस्कृति तथा बुद्ध जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ में बौद्ध परंपरा ।
- 15 अगस्त के अवसर पर स्वतंत्रता के 'जनजातीय स्वर' पर केन्द्रित गीत ।

- अमेरिकन सेंटर, मुंबई के सहयोग से आतंकवाद की विभीषिका पर आधारित प्रदर्शनी । (चित्र - 20)
- पंडित लोचन प्रसाद पाण्डेय पर आधारित चित्र एवं पुरातत्वीय सामग्री ।
- राज्य स्थापना दिवस पर 'छत्तीसगढ़ के शिल्प एवं कलाएं' ।
- श्री राजीवलोचन महोत्सव 2003 'लोक शिल्पियों की नजर में राजिम' एवं पंचक्रोशी क्षेत्र ।
- स्वामी विवेकानंद जी का व्यक्तित्व और जीवन पर आधारित प्रदर्शनी ।
- प्रागैतिहासिक चित्रित शैलाश्रय ।
- कबीर जयंती के अवसर पर कबीर की शिक्षा ।

वर्ष 2002-2003 हेतु विभाग को विभिन्न शीर्षो के अन्तर्गत बजट प्रावधान की स्थिति

क्र.	योजना का नाम	आयोजनेत्तर	आयोजना	योग
1	2	3	4	5
लेखा शीर्ष - 2202-2205-3454				(आकड़े लाख रूपयों में)
1.	2202 आधुनिक भारतीय भाषा (102) और साहित्य का संवर्धन	26.04	3.00	29.04
2.	2205 कलाओं और संस्कृति का संवर्धन (800) अन्य व्यय	68.50	17.50	86.00
3.	3454 जनगणना सर्वे एवं सांख्यिकी (110) गजेटियर	-	8.38	8.38
	योग	**94.54**	**28.88**	**123.42**

राजभाषा एवं संस्कृति का मुख्य लक्ष्य हिन्दी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना तथा संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन करना है । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैन्युअल, नियमावलियों, गजेटियर, प्रतिवेदन आदि का अनुवाद कराया जाता है । समय-समय पर अंग्रेजी से हिन्दी और हिन्दी से अंग्रेजी प्रशासन शब्दकोष भी प्रकाशित किये जाते हैं । नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ी भाषा को प्रचलन में लाने के लिए कार्य योजना प्रस्तुत की जा रही है । इसी के साथ ही यह विभाग समारोह /प्रदर्शन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन करता है ।

संस्कृति नीति के बिन्दु क्रमांक 2 के अंतर्गत राज्य शास्त्रीय, लोक, जनजातीय, महानगरीय एवं ग्राम्य कलारूपों में भेद नहीं करेगा एवं उनके अंत:संबंधों और संक्रमणों की पहचान एवं सम्मान करेगा । इसी क्रम में विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य किए गए -

21

- दशहरा के अवसर पर अक्टूबर 2002 में आयोजित बस्तर लोकोत्सव में उत्प्रेरक की भूमिका ।
- 12 अक्टूबर 2002 को लांगा मांगणियार एवं छाऊ नृत्य का आयोजन । (चित्र - 21)
- 'सुरताव' लोक कला मंडप का निर्माण एवं पारम्परिक शिल्पियों द्वारा सज्जा के उपरांत 27.9.2002 को लोकार्पण, पद्मश्री तीजन बाई द्वारा । (चित्र - 22)

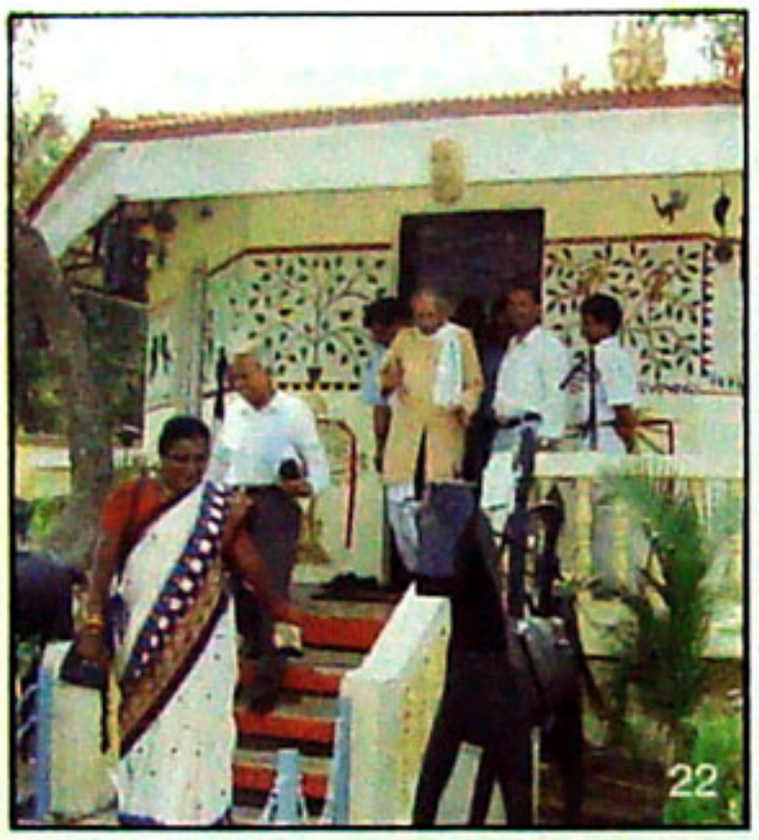
22

संस्कृति नीति के बिन्दु 5 एवं 6 के अंतर्गत राज्य समुदायों के मध्य पारंपरिक संबंधों को बनाये रखने एवं उसको विकसित करने में एक उत्प्रेरक का कार्य करेगा । राज्य प्रयास करेगा कि समुदायों के मध्य संस्कृति पोषित एवं विभूषित होती रहे, इसके लिये संस्कृति विभाग प्रयास करेगा कि शासन के समस्त विभागों की गतिविधियों में संस्कृति अनिवार्य पक्ष हो । इसके अतिरिक्त यह भी प्रयास किया जायेगा कि विकास परियोजनाओं के साथ संस्कृति का सामंजस्य बनाये रखा जाये । इसी क्रम में विभाग द्वारा निम्न कार्य किए गए -

- गणतंत्र दिवस समारोह 2003 के अवसर पर विभिन्न विभागों/संस्थाओं द्वारा तैयार की गयी झांकियों का समन्वयन किया गया। जिसका मुख्य विषय 'चुनौती एवं उपलब्धियां' था, साथ ही अलग-अलग अंचलों की सांस्कृतिक विरासत की झलक छत्तीसगढ़ राज्य के लोक नर्तक दलों द्वारा आयोजित कर प्रस्तुति दी गयी । इस अवसर आयोजित सांस्कृतिक संध्या में आंध्रप्रेदश, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ के कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गयी।

23

संस्कृति नीति के बिन्दु 9 एवं 14 के अंतर्गत राज्य बोलियों एवं लिपियों का विकास करने का प्रयास करेगा एवं विशेष कर समीपवर्ती राज्यों एवं विश्व परिप्रेक्ष्य में इस संबंध में होने वाले परिवर्तनों को अद्यतन करने का प्रयास करेगा । इसके अतिरिक्त संस्कृति के अनिवार्य तत्व के रूप में विलुप्त होती परम्परा के संरक्षण एवं परिवर्धन हेतु प्रयास करेगा तथा संस्कृति नीति के बिन्दु 12 के अंतर्गत विशिष्ट सांस्कृतिक क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अग्रलिखित आयोजन व सहयोग किया गया -

• पंडित लोचन प्रसाद पाण्डेय स्मृति संगोष्ठी का आयोजन व इसी श्रृंखला में 30 नवम्बर को एक समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया। (चित्र - 24) 4 एवं 5 जनवरी 2003 को पंडित लोचन प्रसाद पाण्डेय की स्मृति में संगोष्ठी एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसी अवसर पर उनसे संबंधित पुस्तक का भी विमोचन किया गया।

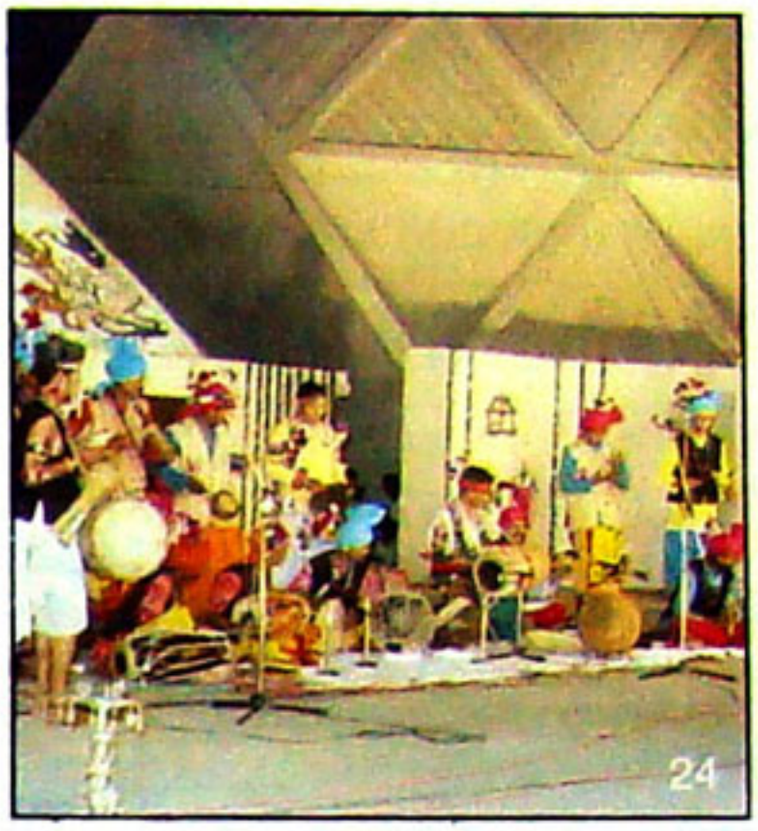
24

• आई.टी.सी. संगीत रिसर्च अकादमी, कोलकाता एवं विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 13 से 15 दिसम्बर 2002 तक त्रि-दिवसीय शास्त्रीय संगीत समारोह का आयोजन किया गया। इसी आयोजन में दिनांक 14 दिसम्बर 2002 को गायन एवं प्रशिक्षण पर परिचर्चा एवं गोष्ठी का आयोजन किया गया एवं 15 दिसम्बर 2002 को वाद्ययंत्रों का प्रशिक्षण पर एक कार्यशाला आयोजित की गई।

• छत्तीसगढ़ के पारंपरिक तथा लुप्तप्राय वाद्ययंत्रों का संरक्षण, प्रचलन एवं प्रदर्शन कर राज्य की संगीत परंपरा को पुष्ट करते हुए लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से स्वतंत्रता दिवस 2002 को तथा नई दिल्ली में राज्य दिवस के अवसर पर (चित्र -23) छत्तीसगढ़ के विशिष्ट वाद्ययंत्रों पर पारंपरिक धुनों की प्रस्तुति आयोजित की गई साथ ही श्री रिखी क्षत्रिय, भिलाई को पारंपरिक एवं लुप्तप्राय वाद्ययंत्रों के संकलन, संरक्षण एवं प्रदर्शन हेतु अनुदान प्रदान किया गया।

संस्कृति नीति के बिन्दु 10 एवं 19 के अंतर्गत संस्कृति को एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा जायेगा एवं संस्कृति को उपभोग्य वस्तु मात्र न मानकर जीवन के निरंतर प्रवाह की तरह गतिशील एवं परिवर्तनशील प्रक्रिया माना जायेगा एवं इसको संरक्षित रखने हेतु शोध, शिक्षण, समीक्षा, उपचार, प्रकाशन करते हुए समर्थन दिया जायेगा। इसके अंतर्गत विभाग द्वारा 11 जनवरी 2003 को संसदीय राजभाषा प्रचार समिति की बैठक 15 जनवरी 2003 को छत्तीसगढ़ी भाषा प्रोत्साहन समिति की बैठक तथा 25 जनवरी 2003 को स्वामी विवेकानंद जी के 125 वीं जयंती की स्मृति में होने वाले विभिन्न आयोजन संबंधी बैठक आयोजित की गई।

25

राजभाषा –

छत्तीसगढ़ी को राज्य भाषा बनाने के संबंध में विधानसभा में लिये संकल्प के अनुसार भारत सरकार गृह मंत्रालय के माध्यम से प्रस्ताव महामहिम राष्ट्रपति को ओर प्रेषित किया गया है। इस संबंध में राजभाषा संसदीय समिति के छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान माननीय सदस्यों को विभाग द्वारा आमंत्रित कर राज्य की जनभाषा को राजभाषा दर्जा दिए जाने के संबंध में व प्रकरण के वर्तमान स्थिति के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई गई साथ ही इस कार्य हेतु राजभाषा-को संसदीय समिति के सहयोग की अपेक्षा की गई। (चित्र - 25) समिति द्वारा इस संदर्भ में राज्यशासन को सहयोग देने का आश्वासन दिया गया है।

छत्तीसगढ़ बहुआयामी संस्कृति संस्थान -

छत्तीसगढ़ बहुआयामी संस्कृति संस्थान, राज्य की समस्त सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रदर्शन, संकलन, कार्यशाला आदि के प्रत्यक्ष आयोजन से संबंधित रूपरेखा है, जिसमें जनजातीय कलाओं के स्वप्रेरित प्रदर्शन, संकलन एवं आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित किया जाएगा । इसमें शिल्प, नृत्य, संगीत, वाद्य, लोक देवी-देवता, वानस्पतिक औषधियां, बालकों में ज्ञान-विज्ञान को परिमार्जित करने तथा शोधार्थियों को सामग्री सहज उपलब्ध कराने हेतु उन्नत तकनीकी सुविधाओं की व्यवस्था भी रहेगी । बहुआयामी संस्कृति संस्थान का पंजीयन माह सितम्बर 2002 में करा लिया गया है । इसके लिए वित्तीय प्रस्ताव 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002-07 के अंतर्गत विचाराधीन है। यह केन्द्र प्रवर्तित योजना होगी जिसमें केन्द्र एवं राज्य के द्वारा 50-50 प्रतिशत का योगदान दिया जायेगा ।

मुक्तांगन संग्रहालय -

छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति का आधार, जनजातीय समूहों की जीवन शैली, शिल्प उनके विश्वास और अवधारणाएं है । समाज की समुचित और समग्र उन्नति की दृष्टि से 'पुरखौती मुक्तांगन' नामक एक खुले परिसर की योजना बनाई है । (चित्र - 26) इस योजना के लिए रायपुर से 20 कि.मी. दूर ग्राम उपरवारा व इससे संलग्न वृक्षारोपण क्षेत्र में जैव सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन वन विभाग के सहयोग से प्रस्तावित है । इस परियोजना के समाविष्ट लक्ष्य में सांस्कृतिक जागरूकता और जैव सांस्कृतिक वैविध्य का संरक्षण, पारम्परिक ज्ञान पद्धति का आधुनिक विकास, आवश्यकताओं के साथ तादात्म्य और प्रदर्शन होगा। छत्तीसगढ़ की जैव परिवेशीय और सांस्कृतिक स्थितियों का अनुभूत और दृश्यमान संस्कृति के रूप में जीवंत प्रदर्शन होगा । मुक्तांगन संग्रहालय हेतु वर्ष 2002-03 के लिए आदिवासी उपयोजना से राशि प्राप्त की गई है ।

11 वां वित्त आयोग -

11 वें वित्त आयोग (2000-01 से 2004-05) के अंतर्गत विभाग को पुरातत्व संरक्षण एवं ग्रंथालय विकास, दो योजनाएं स्वीकृत की गई है । इसके अंतर्गत पुरातत्व संरक्षण हेतु राज्य में फैली पुरातत्वीय महत्व की संपदा/स्मारकों को संरक्षित रखने एवं उनका संवर्धन करने की विस्तृत योजना है । राज्य के सभी 16 जिलों में जिला पुस्तकालय के उन्नयन हेतु 3.20 करोड़ की योजना एवं पुरातत्व संरक्षण हेतु 2.61 करोड़ की योजना अनुमोदित की जा चुकी है । इसके अंतर्गत जिला ग्रंथालयो को आधुनिक बना कर उन्हें राज्य स्तरीय ग्रंथालय एवं शोध केन्द्र से इंटरनेट द्वारा जोड़ना है । इसके अतिरिक्त महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय, रायपुर स्थित ग्रंथालय का उन्नयन कर इसे राज्य स्तरीय ग्रंथालय एवं शोध केन्द्र के रूप में विकसित किया जाना है, जो राज्य के समस्त 16 जिला ग्रंथालयों से जुड़ा रहेगा, इसके लिये 50 लाख रू. की योजना है ।

पुरातत्व, संग्रहालय, अभिलेखागार, राजभाषा एवं संस्कृति का एक ही संचालनालय -

नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य में पुरातत्व, संग्रहालय, अभिलेखागार, राजभाषा एवं संस्कृति को एक ही जगह स्थापित करने की दृष्टि से संस्कृति एवं पुरातत्व संचालनालय के नवीन सेट-अप को 2002-03 में वित्त विभाग के अनुमोदित कर दिया गया है। विभाग के 36 सांख्येतर पदों का अनुमोदन वित्त विभाग के विचाराधीन है।

संचालनालय, संस्कृति एवं पुरातत्व का अनुमोदित पद संरचना

क्र	पद नाम	वेतनमान	शासन द्वारा स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1	2	3	4	5	6
1.	संचालक - प्रथम श्रेणी	अखिल भारतीय सेवा	1	1	-
2.	संयुक्त संचालक-प्रथम श्रेणी	12000-16500	2	1	1
3.	उपसंचालक-प्रथम श्रेणी	10000-15200	5	1	4
4.	सहा संचालक-द्वितीय श्रेणी	8000-13500	1	-	1
5.	सहा संचालक-द्वितीय श्रेणी	6500-10500	2	1	1
6.	प्रकाशन अधिकारी	8000-13500	1	-	1
7.	मुद्राशास्त्री	8000-13500	1	-	1
8.	पुरातत्ववेत्ता	8000-13500	2	1	1
9.	ग्रंथपाल	8000-13500	1	-	1
10.	सहायक यंत्री	8000-13500	1	-	1
11.	मुख्य रसायनज्ञ	8000-13500	1	-	1
12.	पुरातत्वीय अधिकारी	8000-13500	1	1	-
13.	पुरालेख अधिकारी	8000-13500	1	1	-
14.	पुरालेखवेत्ता	8000-13500	1	-	1
15.	संग्रहाध्यक्ष	8000-13500	3	3	-
16.	लेखाधिकारी	8000-13500	1	1	-
17.	संरक्षण अधिकारी	6500-10500	1	-	1
18.	सहा.पुरालेख अधि. तृतीय श्रेणी	5500-9000	1	-	1
19.	अधीक्षक	5500-9000	1	-	1
20.	अनुदेशक	5500-9000	2	2	-
21.	कनिष्ठ लेखाधिकारी	5000-8000	1	-	1
22.	सहायक अधीक्षक	5000-8000	1	-	1
23.	सहायक ग्रंथपाल	5000-8000	2	-	2

1	2	3	4	5	6
24.	सहायक प्रोग्रामर	5000-8000	1	-	1
25.	उपयंत्री	5000-8000	3	2	1
26.	मान चित्रकार	5000-8000	2	1	1
27.	कलाकार	5000-8000	2	1	1
28.	रसायनज्ञ	5000-8000	2	1	1
29.	शोध सहायक	5000-8000	2	1	1
30.	सहायक वर्ग 1	4500-7000	1	-	1
31.	तकनीकी सहायक	4500-7000	2	-	2
32.	सहायक पुरालेखपाल	4500-7000	1	1	–
33.	सहायक कलाकार	4500-7000	2	1	1
34.	सहायक रसायनज्ञ	4500-7000	2	–	2
35.	उत्खनन सहायक	4500-7000	3	–	3
36.	अनुवादक	4500-7000	2	–	2
37.	सहायक वर्ग - 2	4000-6000	12	7	5
38.	स्टेनो ग्राफर	4000-6000	3	–	3
39.	विडीयोग्राफर/छाया चित्रकार	4000-6000	1	–	1
40.	पर्यवेक्षक	4000-6000	1	–	1
41.	सर्वेयर	4000-6000	3	1	2
42.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	3500-5200	8	–	8
43.	मार्ग दर्शक / गाईड	3500-5200	3	2	1
44.	स्टेनों टायपिस्ट	3050-4590	5	2	3
45.	सहायक ग्रेड-3	3050-4590	17	9	8
46.	वाहन चालक	3050-4590	3	1	2
47.	मोल्डर/सेल्समेन	3050-4590	2	1	1
48.	बाईन्डर	3050-4590	1	–	1
49.	भृत्य	2550-3200	25	25	–
50.	चौकीदार	2550-3200	3	3	-
51.	चौकीदार (जिलाध्यक्ष दर)		1	1	–
52.	फर्राश (अंशकालीन) जिलाध्यक्ष दर		1	1	-
53.	केयर टेकर जिलाध्यक्ष दर		12	12	–
	योग		**160**	**86**	**74**